

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

पत्रांक : 11/यो०-09/2025...339

पटना, दिनांक 31/01/2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),

बिहार, पटना।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के लिए तृतीय किस्त के अन्तर्गत केन्द्रांश की राशि ₹5,24,78,34,000/- (पाँच अरब चौबीस करोड़ अठहत्तर लाख चौतीस हजार) रुपये मात्र एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹3,49,85,55,999/- (तीन अरब उन्चास करोड़ पचासी लाख पचपन हजार नौ सौ निन्यानवें) रुपये मात्र अर्थात् कुल राशि ₹8,74,63,89,999/- (आठ अरब चौहत्तर करोड़ तिरेसठ लाख नेवासी हजार नौ सौ निन्यानवें) रुपये मात्र सहायक अनुदान के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक निदेशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रथम किस्त के अन्तर्गत केन्द्रांश की राशि ₹3,83,62,64,000/- (तीन अरब तेरासी करोड़ बासठ लाख चौसठ हजार) रुपये मात्र एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹2,55,75,09,334/- (दो अरब पचपन करोड़ पचहत्तर लाख नौ हजार तीन सौ चौतीस) रुपये मात्र अर्थात् कुल राशि ₹6,39,37,73,334/- (छः अरब उनचालीस करोड़ सैंतीस लाख तेहत्तर हजार तीन सौ चौतीस) रुपये मात्र सहायक अनुदान के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या-169 दिनांक-19.08.2025 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के लिए द्वितीय किस्त के अन्तर्गत केन्द्रांश की राशि ₹3,79,78,18,000/- (तीन अरब उनासी करोड़ अठहत्तर लाख अठारह हजार) रुपये मात्र एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹2,53,18,78,667/- (दो अरब तिरपन करोड़ अठारह लाख अठहत्तर हजार छः सौ सड़सठ) रुपये मात्र अर्थात् कुल राशि ₹6,32,96,96,667/- (छः अरब बत्तीस करोड़ छियानबे लाख छियानबे हजार छः सौ सड़सठ) रुपये मात्र सहायक अनुदान के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या-234 दिनांक-16.10.2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत उपबंधित राशि से प्रदान की गई है।

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा के लिए तृतीय किस्त के अन्तर्गत केन्द्रांश की राशि ₹5,24,78,34,000/- (पाँच अरब चौबीस करोड़ अठहत्तर लाख चौतीस हजार) रुपये मात्र एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹3,49,85,55,999/- (तीन अरब उन्चास करोड़ पचासी लाख पचपन हजार नौ सौ निन्यानवें) रुपये मात्र अर्थात् कुल राशि ₹8,74,63,89,999/- (आठ अरब चौहत्तर करोड़ तिरेसठ लाख नेवासी हजार नौ सौ निन्यानवें) रुपये मात्र सहायक अनुदान के व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

*3m*

2. भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के पत्रांक-F.No.-4-5/2025-IS-6(NON-REC-Gen) दिनांक-30.01.2026, पत्रांक-F.No.-4-5/2025-IS-6(NON-REC-SC) दिनांक-30.01.2026, पत्रांक-F.No.-4-5/2025-IS-6(NON-REC-ST) दिनांक-30.01.2026, पत्रांक-F.No.-4-5/2025-IS-6(REC-Gen) दिनांक-30.01.2026, पत्रांक-F.No.-4-5/2025-IS-6(REC-SC) दिनांक-30.01.2026, पत्रांक-F.No.-4-5/2025-IS-6(REC-ST) दिनांक-30.01.2026 द्वारा तृतीय किस्त की राशि के तौर पर Capital Head एवं General Head अन्तर्गत केन्द्रांश की राशि ₹5,24,78,34,000/- (पाँच अरब चौबीस करोड़ अठहत्तर लाख चौतीस हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा उक्त केन्द्रांश के समानुपातिक राज्यांश की राशि ₹3,49,85,55,999/- (तीन अरब उन्चास करोड़ पचासी लाख पचपन हजार नौ सौ निन्यानवें) रुपये मात्र अर्थात् कुल राशि ₹8,74,63,89,999/- (आठ अरब चौहत्तर करोड़ तिरेसठ लाख नेवासी हजार नौ सौ निन्यानवें) रुपये मात्र की विमुक्ति हेतु राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के पत्रांक-614 दिनांक-30.01.2026 के द्वारा अनुरोध किया गया है।

समग्र शिक्षा केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत केन्द्र एवं राज्य की हिस्सेदारी 60:40 है एवं भारत सरकार से प्राप्त उक्त स्वीकृति के अंतर्गत विमुक्त केन्द्रांश की राशि के समानुपातिक राज्यांश की राशि की विमुक्ति का प्रावधान है।

3. **बजट शीर्ष:-** वित्तीय वर्ष 2025-26 में केन्द्रांश अंतर्गत संगत शीर्ष में प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि सहित कुल ₹27,30,61,00,000/- (सताईस अरब तीस करोड़ एकसठ लाख) रुपये मात्र एवं राज्यांश अंतर्गत संगत शीर्ष में प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि सहित कुल ₹21,14,17,00,000/- (इक्कीस अरब चौदह करोड़ सत्रह लाख) रुपये मात्र का उपबंध/उद्व्यय प्राप्त है।

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय किस्त के अंतर्गत स्वीकृत केन्द्रांश की राशि ₹5,24,78,34,000/- (पाँच अरब चौबीस करोड़ अठहत्तर लाख चौतीस हजार) रुपये मात्र का विकलन समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत उपबंधित राशि से निम्नरूपेण किया जाएगा।

**केन्द्रांश:-**

क्र०सं०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (रूपया में)	तृतीय किस्त अंतर्गत विमुक्त की जा रही केन्द्रांश की राशि (रूपया में)
01	21-2202021090207 (General Component)	31.05 (Capital Head)	₹17,49,86,00,000/-	₹3,55,77,66,000/-
		31.06 (General Head)	₹4,31,04,00,000/-	₹81,94,52,000/-
02	21-2202027890207 (SC Component)	31.05 (Capital Head)	₹3,80,06,00,000/-	₹63,51,17,000/-
		31.06 (General Head)	₹1,25,66,00,000/-	₹14,62,85,000/-
03	21-2202027960209 (ST Component)	31.05 (Capital Head)	₹30,80,00,000/-	₹7,25,12,000/-
		31.06 (General Head)	₹13,20,00,000/-	₹1,67,02,000/-
Total Amount				₹5,24,78,34,000/-

३

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के तृतीय किस्त के अंतर्गत स्वीकृत राज्यांश की राशि ₹3,49,85,55,999/- (तीन अरब उन्चास करोड़ पचासी लाख पचपन हजार नौ सौ निन्यानवे) रुपये मात्र का विकलन समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत उपबंधित राशि से निम्नरूपेण किया जाएगा।

राज्यांश:-

क्र०सं०	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	उपबंधित राशि (रूपया में)	तृतीय किस्त अंतर्गत विमुक्त की जा रही राज्यांश की राशि (रूपया में)
01	21-2202021090307 (General Component)	31.05 (Capital Head)	₹13,63,92,10,000/-	₹2,37,18,44,000/-
		31.06 (General Head)	₹4,19,01,70,000/-	₹54,63,01,333/-
02	21-2202027890307 (SC Component)	31.05 (Capital Head)	₹2,56,09,50,000/-	₹42,34,11,333/-
		31.06 (General Head)	₹48,47,40,000/-	₹9,75,23,333/-
03	21-2202027960309 (ST Component)	31.05 (Capital Head)	₹19,54,70,000/-	₹4,83,41,333/-
		31.06 (General Head)	₹7,11,60,000/-	₹1,11,34,667/-
Total Amount				₹3,49,85,55,999/-

4. स्वीकृत राशि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी तथा अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग द्वारा राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना से पूर्व प्राप्ति रसीद प्राप्त कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से उक्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि की निकासी BTC-42 पर CFMS Mode के माध्यम से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना को निम्नरूपेण उपलब्ध कराया जायेगा।

केन्द्रांश:-

क्र०सं०	Budget Code	Subject Head	Central Share(in Rs)	A/c Name	Account Number	IFSC	Bank Name & Branch Name
01	21-2202021090207 (General Component)	31.05 (Capital Head)	₹3,55,77,66,000 /-	BEPC- Samagra Shiksha- Bihar	40385607280	SBIN000 0153	State Bank of India, Patna Secretariate
		31.06 (General Head)	₹81,94,52,000 /-				

*Sur*

02	21-2202027890207 (SC Component)	31.05 (Capital Head)	₹63,51,17,000 /-	BEPC- Samagra Shiksha- Bihar	40385607280	SBIN000 0153	State Bank of India, Patna Secretariate
		31.06 (General Head)	₹14,62,85,000 /-				
03	21-2202027960209 (ST Component)	31.05 (Capital Head)	₹7,25,12,000 /-	BEPC- Samagra Shiksha- Bihar	40385607280	SBIN000 0153	State Bank of India, Patna Secretariate
		31.06 (General Head)	₹1,67,02,000 /-				
Total Amount			₹5,24,78,34,000 /-				

राज्यांश:-


क्र. सं.	Budget Code	Subject Head	State Share (Corrospounding 40% of Central Share) (in Rs)	A/c Name	Account Number	IFSC	Bank Name & Branch Name
01	21-2202021090307 (General Component)	31.05 (Capital Head)	₹2,37,18,44,000 / -	BEPC- Samagra a Shiksha -Bihar	40385607280	SBIN0000 153	State Bank of India, Patna Secretariate
		31.06 (General Head)	₹54,63,01,333 / -				
02	21-2202027890307 (SC Component)	31.05 (Capital Head)	₹42,34,11,333 / -	BEPC- Samagra a Shiksha -Bihar	40385607280	SBIN0000 153	State Bank of India, Patna Secretariate
		31.06 (General Head)	₹9,75,23,333 / -				
03	21-2202027960309 (ST Component)	31.05 (Capital Head)	₹4,83,41,333 / -	BEPC- Samagra a Shiksha -Bihar	40385607280	SBIN0000 153	State Bank of India, Patna Secretariate
		31.06 (General Head)	₹1,11,34,667 / -				
Total Amount			₹3,49,85,55,99 / -				

- समग्र शिक्षा के तहत प्राप्त सहायक अनुदान की उपयोगिता ससमय भारत सरकार को संबंधित कार्यकारी एजेंसी, जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद है, के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त राशि को नियमानुसार व्यय करने के उपरांत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद विभाग के माध्यम से महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगी।
- राशि का विचलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।
- योजना का अनुश्रवण राज्य स्तर पर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक द्वारा की जायेगी।

3/11

8. इस योजना के तहत की जाने वाली राशि के व्यय का अंकेक्षण कार्य महालेखाकार या महालेखाकार द्वारा प्राधिकृत संस्था एवं वित्त विभाग द्वारा किया जा सकता है।
9. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय पत्राक-2561 दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर निर्गत विभागीय अनुदेशों/पत्रों के आलोक में की जायेगी।
10. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के संकल्प-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-5 (क) (ii) के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
11. वित्त विभाग के पत्रांक-7355, दिनांक-05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
12. संचिका संख्या-11/यो०-09/2025 के पृष्ठ/नोट-...2.3/टि० पर दिनांक-31/01/2026 का प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
13. संचिका संख्या-11/यो०-09/2025 के पृष्ठ/नोट-2.1.../टि० पर दिनांक-31/01/2026 का प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव, शिक्षा विभाग

पटना, दिनांक 31/01/2026

ज्ञांपाक: 11/यो०-09/2025...339

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञांपाक: 11/यो०-09/2025...339

पटना, दिनांक 31/01/2026

प्रतिलिपि:- राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/योजना एवं विकास विभाग/संबंधित उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा शिक्षा विभाग/सहायक निदेशक, योजना कोषांग शिक्षा विभाग/बजट शाखा/लेखा शाखा एवं आई०टी० मैनेजर शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




उप सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञांपाक: 11/यो०-09/2025...339

पटना, दिनांक 31/01/2026

प्रतिलिपि:- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



उप सचिव, शिक्षा विभाग